. राजस्थान सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड

सफलता की कहानी

50 साल बाद पु तेनी जमीन पर मिला हक

झालावाड़ 3 जुलाई/ग्राम पंचायत झिकड़िया में आयोजित राजस्व लोक अदालत ि" ाविर में देवसिंह पुत्र भवाना जाति गुर्जर निवासी बीरखंगा ने उपस्थित होकर 2 जुलाई को ग्राम बीरखंगा में स्थित 40.19 बीघा पु" तैनी भूमि के खाते में सेटलमेंट के पूर्व से ही खाते में अपना नाम नही होने के कारण अपने दो सगे भाईयों के साथ पु" तेनी भूमि के खाते में अपना नाम दर्ज करने बाबत् वाद प्रस्तुत किया।

प्रकरण को झालावाड़ उपखण्ड अधिकारी रामचरण भार्मा द्वारा तहसीलदार झालरापाटन से राजस्व रेकार्ड एवं मौका स्थिति के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा प्रार्थी के दोनो सगे भाईयों पूरीलाल व छगनलाल के बयान दर्ज करवाये गये एवं मजमें आम में तथ्यों की पुष्टि की गई।

तहसीलदार झालरापाटन की रिपोर्ट, मजमें आम में प्राप्त जानकारी एवं मौके पर देवसिंह का आराजी पर कब्जा का" त होने के आधार पर जमाबन्दी ग्राम बीरखंगा खाता सं0 13 में 40–19 बीघा कृषि भूमि में हि0 1/3 से देवसिंह का नाम खाते में दर्ज करने का आदे" । जारी किया गया। मौके पर ही आदे" । की पालना में नामान्तरकरण दर्ज करवाकर निर्णित करवाया जाकर राजस्व रेकार्ड की प्रतिलिपि प्रार्थी देवसिंह को उपलब्ध करवाई गई।

''पु" तेनी खाते की भूमि में अपना नाम दर्ज होने के आदे" । व जमाबन्दी की प्रतिलिपि पाकर देवसिंह की खु" ी का ठिकाना नही रहा और ख" ी से उसकी आंखे भर आई और कहने लगा कि 50 साल बाद मुझे सरकार द्वारा चलाये गये न्याय आपके द्वार अभियान में न्याय मिला है।''

———